

जीवनकाल / सीमाकाल

तारीख दुयम	दुयम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज
18/12/2020	पत्रावली पैरा। वकील उग्रयपका उपस्थित। पत्रावली वाले जवाब जारनापत्र दि० 28/12/2020 को पैरा है।
28/12/2020	पत्रावली पैरा। वकील उग्रयपका उपस्थित। डा. उग्रय, लखन 01 व 02 की और से अधिवक्ता ने जवाब जारनापत्र पैरा किया जो शामिल प्रिन्स किया गया एवं उनी जार्जी अधिवक्ता को दी गयी। पत्रावली वाले बरहल दि० 04/01/2021 को पैरा है।
04/01/2021	पत्रावली पैरा। वकील उग्रयपका उपस्थित। उग्रयपका वकील की बरहल सुनी गयी। पत्रावली वाले आदेश दि० 06/01/2021 को पैरा है।
06/01/2021	पत्रावली पैरा। वकील उग्रयपका उपस्थित। जार्जी अधिवक्ता ने सुपनी बरहल में बताया कि उनके जारनापत्र को ही बरहल समझा जावे। सुजार्जीगु अधिवक्ता ने सुपनी बरहल में बताया कि वाक्यांश सराजी अजार्जी लखे 01/02 की उग्रयपका सुपनी है जिसमें जार्जी का कब्जा कबल नहीं है। जार्जी ने किया तप्य मारिने करके जारनापत्र पैरा किया है। बरहल में जार्जी का जारनापत्र खाली फरमाया जावे। हमें पत्रावली में उपस्थित पत्रावली का बरहल दि. 06/01/2021 किया एवं वकील उग्रयपका की

रा.मु.जो.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तहल पर जनत किया एवं प्रत्यापी निषेधाज्ञा के तहत
विन्दुओं प्रथम दुकाना प्राप्ता, खुविद्या का खुलना,
अव्यवस्थित रहित को ध्यान में रखते हुए जहाँ का
अव्यवस्थापन तालमति धारा 212 RT Act का स्वीकार
किया जाता है तथा जहाँ के पत्र के एवं अज्ञात
के विरुद्ध शालम खुल बाद के सिपाक्य दौरा एवं
नितालय तक प्रत्यापी निषेधाज्ञा एक अभाव की
जाती की जाती है कि अज्ञात कवगत शालमी
के प्रौढ व शालम रोक की अधारित वगैर
रखे। पत्रावली के तहत खुला होकर इन तहत के तहत
होकर दायित्व वगैर हो। निम्न आज प्रिकार
06/01/2021 को खुले - भोपालम में खुला गया।

06/01/2021
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)